



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20072026-274610
CG-MH-E-20072026-274610

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3761]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2026/आषाढ 25, 1948

No. 3761]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2026/ASHADHA 25, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 10 जुलाई, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 37A के तहत

का.आ. 3925(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) खंड 2 की धारा 37A के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मध्य रेलवे के अंतर्गत "चिखली और सोमटाणे के बीच कॉर्ड लाइन (3.706 किमी)" "विशेष रेलवे परियोजना" के रूप में रेलवे परियोजना को भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबन्धित करने हेतु, विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. G197/Chikhli-Somtane (3.706 Km)/SRP/37A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, 10th July, 2026

Under clause 37A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 3925(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies **“Chord Line between Chikhli and Somtane (3.706 Km)”** as Railway project under Central Railway, under **“Special Railway Project”** for acquisition of land in **Raigad District** of Maharashtra State for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F.No. G197/Chikhli-Somtane (3.706 Km)/SRP/37A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)